झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या...63......... वर्ष 20.23....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री प्रकाश चंद्र चन्दन
ग्रा०+पो० - औरा, थाना - बगोदर, जिला - गिरिडीह

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह।

DISPOSED
28/03/24.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–63 / 2023 अपीलकर्ता श्री प्रकाश चंद्र चंदन, ग्राम+पोस्ट–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह का अपील–आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है। प्राप्त अपील आवेदन में अपीलकर्ता द्वारा निम्न आरोप लगाये गये हैं:– 1. DSD अभिकर्त्ता, श्री दिपेश कुमार के द्वारा वाउचर में हेराफेरी कर डिलीवर किये गये कम अनाज को ऑनलाइन डाटा इंट्री में पूर्ण डिस्पैच दिखा कर राशन का बड़े पैमाने पर गबन किया जा रहा है। 2. उपरोक्त मामले में बगोदर के सहायक गोदाम प्रबंधक के भी संलिप्ता रहने एवं विभाग के संरक्षण में किये जाने का आरोप है। 3. अपीलकर्ता द्वारा उदाहरण स्वरूप माह अगस्त, 2023 में डीलर श्री मंकसूद आलम का DSD अभिकर्ता द्वारा आवंटित एवं डिलीवर किये गये अनाज की मात्रा का आवंटन उपलब्ध कराया है, जो कि आवंटित अनाज एवं निर्गत SIO के 246.05 क्विंटल के विरूद्ध मात्र 126.05 क्विंटल डिलीवर हुआ है। प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को प्रतिवादी बनाते हुए आयोग स्तर पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–15.12.2023 को निर्धारित की जाती है। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई में आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपीलकर्ताओं को उपस्थित रहने हेतु नोटिस निर्गत करें। दिनांक–15.12.2023 को अपराह्न 12.00 बजे रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx69	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–63 / 2023	
15.12.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह, आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से डॉ0 जियाउल रहमान, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। शिकायतकर्त्ता श्री प्रकाश चन्द चन्दन द्वारा आयोग को भेजे गये शिकायत–पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बगोदर के डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता श्री दिपेश कुमार और बगोदर के सहायक गोदाम प्रबंधक श्री विकास कुमार के मिली भगत से बडे पैमाने पर अनाज का गबन किया गया है। अतः दोषियो पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग ने ज्ञापांक–1006, दिनांक–06.12.2023 के माध्यम से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देश दिया था कि वो इस संदर्भ में आज की सुनवाई में उपस्थित हों, लेकिन आज की सुनवाई में उनके द्वारा भेजे गये प्राधिकृत प्रतिनिधि इस वाद के बारे में सम्पूर्ण अनभिज्ञता व्यक्त कर रहें है और जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कोई लिखित पक्ष भी आयोग के अभिलेख में मौजूद नहीं है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि अपीलकर्त्ता की मूल शिकायत में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उसकी जांच कर जांच प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें और यदि जांच में दोषी चिन्हित किये जाते है तो चिन्हित किये गये व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें अन्यथा आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिनियम के समुचित धाराओं में तहत् कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.12.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–63 / 2023	
28.12.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के प्रतिनिधि के रूप में श्री विकास कुमार वर्मा, सहायक गोदाम प्रबंधक, बगोदर आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह ने अपना लिखित प्रतिवेदन आयोग को समर्पित किया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप जाँच में सही नहीं पाये गये हैं। न्याय के हित में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा आयोग को समर्पित प्रतिवेदन की प्रति एवं उसके साथ अनुलग्नक की सभी प्रति वाट्सएप्प के माध्यम से अपीलकर्ता को भेजा जा रहा है। आयोग अपीलकर्ता से आग्रह करता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन एवं अनुलग्नक का अध्ययन कर यह देखें कि उनके द्वारा लगाये गये आरोपों के विरूद्ध जो प्रतिवेदन समर्पित किया गया है, वो स्वीकार करने योग्य है या नहीं ? अपीलकर्ता ने तथ्यों के आधार पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन को गलत प्रमाणित कर दिया तो फिर जिला आपूर्ति पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की जाएगी। अपीलकर्ता से आग्रह है कि वे अगली सुनवाई दिनांक–11.01.2024 से 07 दिन पूर्व अपना पक्ष भेजें ताकि जिला आपूर्ति पदाधिकारी से स्पष्टीकरण 11 जनवरी से पहले मांगा जा सके। मामले की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.01.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx142	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–63 / 2023	
11.01.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से शिकायतकर्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग ने अपने पिछले सुनवाई में यह निर्देश दिया था कि अपीलकर्ता द्वारा भेजे गए आपत्ति पत्र की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को भेज दी जाए, लेकिन तकनीकी कारणों की वजह से जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उपरोक्त प्रतिवेदन वाट्सएप्प के माध्यम से नहीं भेजे जा सका। आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को शिकायतकर्ता के प्रतिवेदन की प्रति हाथों–हाथ उपलब्ध कराई जा रही है एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे शिकायतकर्ता के प्रतिवेदन में उठाये गये बिन्दुओं के विरूद्ध अपना पक्ष अगली सुनवाई में रखें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक– 30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.01.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx144	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-01-2024	**वाद सं0–63 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह ऑडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि श्री विकास कुमार वर्मा, प्रभारी सहायक गोदाम, प्रबंधन बगोदर, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह ने आयोग को प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमें उन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा उठाये गये तथ्यों को निराधार बताया है। आयोग ने दूरभाष पर ही शिकायतकर्ता को जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन को पढ़ कर सुनाया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी का प्रतिवेदन आयोग को भ्रमित करने का प्रयास है। शिकायतकर्ता द्वारा ये कहे जाने के बाद आयोग इस मामले की विस्तृत जांच का जिम्मा आयोग के सदस्य सचिव को देता है। आयोग सदस्य सचिव को निदेश देता है कि इस पूरे मामले की जांच 15 दिनों में कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें। तत्पश्चात् आयोग इस वाद में अग्रेत्तर आदेश पारित करेगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx57

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28-02-2024	**वाद सं0–63 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह अनुपस्थित। इस वाद की पिछली सुनवाई 30.01.2024 को हुई थी। उस सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर शिकायतकर्ता की राय लेनी चाही। शिकायतकर्ता ने दूरभाष पर आयोग को ये बताया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पेश किया गया प्रतिवेदन आयोग को भ्रमित करने का प्रयास है। शिकायतकर्ता द्वारा यह बात कहे जाने के बाद आयोग ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन की विस्तृत जांच करने का जिम्मा आयोग के सदस्य सचिव को दिया। आयोग के सदस्य सचिव को पूरे मामले की जांच कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर समर्पित करने का निदेश दिया गया था। आयोग के सदस्य सचिव ने अपना प्रतिवेदन पेश किया है। प्रतिवेदन में भी शिकायकर्ता की बातों को सही पाया गया है और प्रतिवेदन की कंडिका–08 में सदस्य सचिव ने ये लिखा है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया है और प्रथम दृष्टया स्पष्ट अनियमितता, कदाचित गबन के मामले पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी से इस प्रकार की भ्रामक प्रतिवेदन की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। आयोग न्याय के हित में सदस्य सचिव द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं शिकायतकर्ता को उपलब्ध करा रहा है। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो सदस्य सचिव द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध यदि चाहें तो अपना पक्ष रख सकते हैं। अन्यथा सदस्य सचिव के प्रतिवेदन के आधार पर उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए आयोग विभाग को पत्र प्रेषित करेगा। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा–20 की उपधारा 2 के तहत् भी कार्रवाई करने पर विचार कर सकता है। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.03.2024 को रखें। Sd/- **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx6	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–63 / 2023	
11.03.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह उपस्थित। आयोग में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह ने आयोग के आदेश का अनुपालन नहीं किया है और आयोग द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सदस्य सचिव, खाद्य आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन की प्रति इस आशय के साथ उपलब्ध कराया गया था कि वे उस पर अपना प्रतिवेदन पेश करेंगे, लेकिन जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने इस संदर्भ में अपना प्रतिवेदन पेश नहीं किया। आयोग इस आशय का अंतिम अवसर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को दे रहा है कि यदि सदस्य सचिव, खाद्य आयोग द्वारा पेश किये गये रिपोर्ट पर अपना बिन्दुवार पक्ष नहीं रखा, तो उनके विरूद्ध आयोग विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा के साथ–साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सुसंगत धाराओं के तहत् कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.03.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx163	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–63 / 2023	
28.03.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के प्रतिनिधि के रूप में श्री संतोष कुमार, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह शहरी आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह ने आयोग को अपने विस्तृत प्रतिवेदन पत्रांक–526 दिनांक–26.03.2024 के माध्यम से भेजा है। अपने प्रतिवेदन में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने इस बात का उल्लेख किया है कि कुछ अनियमितता तो हुई है, लेकिन कुछ अनियमितता में उनकी संलिप्तता नहीं है। ऐसे में आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि इस वाद में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह द्वारा आयोग को प्रेषित प्रतिवेदन की प्रति सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग को भेजते हुए उनसे यह आग्रह करें कि वे इस पूरे मामले की जाँच कर जाँच प्रतिवेदन आयोग को समर्पित करें। न्याय के हित में विभाग को भेजे जाने वाले सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रति शिकायतकर्ता को भी भेज दी जाए। विभाग द्वारा इस मामले में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शिकायतकर्ता, श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन को प्रतिवेदन की एक प्रति भेज दी जाए। उपरोक्त टिप्पणी के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx169	